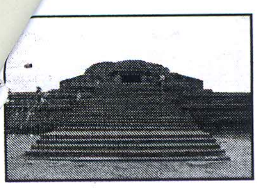

भागलपुर समाहरणालय

(जिला कल्याण शाखा)

बिहार सरकार

निविदा आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये भागलपुर जिलान्तर्गत कल्याण विभाग (अनु0जाति एवं अनु0जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय (1) बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय कम्पनीबाग, भागलपुर (2) राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भागलपुर एवं छात्रावासों में (1) मेस संचालन (2) सामग्री आपूर्ति के साथ अनु0जाति एवं अनु0जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सामग्री आपूर्ति के लिए दिनांक 04.03.2020 के 02:00 बजे अपराह्न तक निबंधित स्वंय सेवी संस्थाओं एवं निबंधित फर्मों से सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक में सील बंद लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत है :–

छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन चयन हेतु तकनीकी शर्तें :–

1. इच्छुक निविदादाता को मेस संचालन हेतु अग्रधन के रूप में 50,000 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से देय होगा।
2. मेस/कैटरिंग कार्य का अद्यतन फूड लाईसेंस संलग्न करना होगा।
3. निवादादाता को जी0एस0टी0 में निबंधित होने एवं अद्यतन जी0एस0टी0 रिर्टन (दिसम्बर 2019 तक) संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (2016–17, 2017–18, 2018–19) संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर 25,00,000 (पच्चीस लाख) से उपर होने संबंधित सत्यापित प्रतिवेदन जो निबंधित चार्टड एकाउंटेट से सत्यापित होना चाहिए।
6. निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निगम/बोर्ड/स्वायत शासी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
8. मेस संचालन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप तथा अच्छे गुणवत्ता वाले मेनू के अनुरूप आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन, नास्ता एवं विशेष अवसर पर विशेष भोजन की आपूर्ति करनी होगी।
9. अच्छे गुणवत्ता वाले मेनू की सूची निविदादाता द्वारा अलग से सील्ड लिफाफे में उपलब्ध कराना होगा।
10. निविदादाता को अपने फर्म के निबंधन हेतु बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम या ट्रेड लाईसेंस संलग्न करना होगा।
11. यदि फर्म/निविदादाता गैर सरकारी संस्था है तो फर्म/एन0जी0ओ0 के निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. यदि फर्म/निविदादाता पार्टनरशीप में है तो साझेदारी संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा।

Dev Ranjan/Vagchi 2020-21
☎ 0641-2420307 (O)
E-mail ID: dwobgpbcebc@gmail.com